

पत्रांक-17/स्था.(कार्य0प्रभार)-22-12/2025, 2273/सांप्र0
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
पुलिस महानिदेशक
मुख्यमंत्री सचिवालय
महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार
सभी आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग को छोड़कर)
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-02/02/2026


विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0-18775 दिनांक-04.10.2025 के आलोक में दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उच्चतर पद के वेतनमान का वैचारिक लाभ अनुमान्य किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0-809, 810, 811 एवं 812 दिनांक-12.01.2026 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उच्चतर पद के वेतनमान का वैचारिक लाभ अनुमान्य किया गया है किन्तु कतिपय सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण उन्हें उच्चतर पद के वेतनमान का वैचारिक लाभ प्रदान नहीं किया जा सका है।

उक्त के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को जिन्हें उच्चतर पद के वेतनमान का वैचारिक लाभ प्रदान नहीं किया जा सका है, उनसे संबंधित अभिलेख/प्रतिवेदन दिनांक-15.02.2026 तक उपलब्ध कराया जाय, ताकि आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

निर्धारित तिथि (दिनांक-15.02.2026 तक) के पश्चात् प्राप्त दावों/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था.(कार्य0प्रभार)-22-12/2025, 2273/सांप्र0, पटना-15, दिनांक-02/02/2026
प्रतिलिपि:- दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।